

संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/21-22/14

दिनांक: 04.03.2022

सेवा में,
श्री मनीष कुमार शर्मा
पुत्र स्व० एस० एन० शर्मा
नि० 175/6, बाबूपुरवा कॉलोनी,
किदवई नगर, कानपुर नगर
मो० 9839 337 017

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत आपके पत्र दिनांक 28.02.2022 के संबंध में।

महोदय,


आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत भेजा गया पत्र दिनांक 28.02.2022 का क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को दिनांक 02.03.2022 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
1.	यह कि क्या आपके विभाग/कार्यालय से हाई टेंशन लाइन लगाने हेतु जिसकी कोड/टावर सं-0217 एफ़०टी०पी०-ए०जी०ए०-1 0217 है, (जो आराजी सं० -5043, ग्राम-पतारा, तह०-घाटमपुर जिला- कानपुर नगर में है।) हाई टेंशन टावर लगाने में होने वाली फसल खराब का मुआवजा वर्ष -2012 में कितना दिया गया था?	मांगी गयी जानकारी तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है, जिसे सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के धारा 8(1)(j) के अंतर्गत, किसी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं की जा सकती है।
2.	यह कि क्या उक्त मुआवज़ा छोटे लाल पुत्र स्व० रामचरन निवासी -ग्राम-पतारा, तह०-घाटमपुर जिला-कानपुर नगर को जरिये एन०ई०एफ़०टी० आपके विभाग से दिया गया था? या जरिये चेक दिया गया था?	

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री आर० नागपाल
कार्यपालक निदेशक,
पावरग्रिड उ०क्ष० – 3
12 राणा प्रताप मार्ग,
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001

भवदीय,


04.03.22

[राणा प्रताप]

वरि०महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एग.)
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. – 3,
पावरग्रिड, लखनऊ